कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

जिला चिकित्सालय कैम्पस, कुतुबखाना रोड, बरेली।

E-mail :nrhmrch.bareilly@gmail.com/ nrhm_bareilly@rediffmail.com Ph. No.: 0581-2552984

जनपदस्तरीय क्वालिटी एश्योरेस कमेटी की त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत्त
जनपद बरेली

दिनांक 05 सितम्बर 2016 को जिला क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली द्वारा की गई। बैठक में निम्न प्रतिभागियों का विवरण निम्नवत है–

1. डॉ0 परवीन जहां,मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, म0प्रपजि0सं0चि0, बरेली।
2. डॉ0 राजीव नयन गिरि, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(आर0सी0एच0), बरेली।
3. डॉ0 अलका शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बरेली।
4. डॉ0 नितेश कनेरिया, डी0क्यू0ए0सी0, बरेली।
5. डॉ0 निशा सिंह राणा, क्वालिटी हास्पिटल मैनेजर, जिला महिला चिकित्सालय बरेली।
6. श्री ब्रजलाल वर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, बरेली।
7. श्री शरद जौहरी, सहायक शोध अधिकारी, बरेली।
8. श्री धनन्जय प्रताप, हास्पिटल मैनेजर, म0प्र0जि0सं0चि0, बरेली।
9. श्री मुज़ीब उर्रहमान, एल0डी0सी0 सी0एम0ओ0 ऑफिस, बरेली।
10. श्री अकबर हुसैन, जिला अर्बन हेल्थ कॉआर्डिनेटर बरेली।
11. श्री कमल बाबू, डाटा कम प्रोग्राम असिस्टेंट, जिला क्वालिटी एश्योरेन्स सेल, बरेली।

बैठक में सर्वप्रथम क्वालिटी एश्योरेंस से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला महिला चिकित्सालय बरेली और महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली। कायाकल्प इंटरनल असेसमेंट से प्राप्त कमियों को दूर करने के बारे में चर्चा की गई। जो निम्नवत है।

1. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट– बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर विस्तार से चर्चा की गई जिसके बिन्दु निम्नवत है।

अ. बायोमेडिकल वेस्ट 2016 के नये नियमों के अनुसार कवर कलर कोटेड बिन्स, पन्चर और लीक प्रुफ कन्टेनर (सफेद पारदर्शी), बार कोडेड बिन्स और पोलिबेग, नोन क्लोरीनेटेट पोलिबैग की सप्लाई के लिए एजेन्सी को निर्देशित किया गया।

ब. महाराणा प्रताप जिला सयुंक्त चिकित्सालय में बायोमेडिकल वेस्ट का पृथक्करण नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण ए0डी0एस0आई0सी0 को कार्य मे शिथिलता बरतने वाले स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने को कहा गया है।

2. महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय बरेली में कार्यरत एजेन्सी के सफाई कर्मचारियों का काम सन्तोष जनक नहीं पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एजेन्सी के सुपरवाईजर को कठोर निर्देश दिया गया है कि कार्य सन्तोष जनक नहीं पाये जाने पर पेनल्टी लगायी जायेगी।

3. चिकित्सा परिसर मे अवारा पशुओ के प्रवेश को रोकने के लिए मौ0 आरिफ, अवर अभियन्ता को चिकित्सालय के प्रवेश द्वारो पर 12 सितम्बर 2016 तक कैटल ट्रेप लगाने को निर्देशित किया गया। अस्पताल परिसर में निवास करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के पालतू पशुओ को अस्पताल परिसर में प्रवेश ना करने को निर्देशित किया गया। निर्देशित किये जाने के बाद भी यदि कर्मचारियों के पालतू पशु अस्पताल परिसर में घूमते नजर आये, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

4. अस्पताल परिसर में दुपहिया एवं चार पाहिया वाहनो के प्रवेश निषेध करने के लिए पार्किग की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। महाराणा प्रताप जिला संयुक्त अस्पताल परिसर मे ऑपरेशन थियेटर के सामने खाली जगह में पब्लिक के वाहनो की पार्किग व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया तथा कर्मचारियों के वाहनो की पार्किग की व्यवस्था अलग से करने का निर्णय लिया गया।

5. अस्पताल परिसर मे संचालित अनाधिकृत विक्रेता के प्रवेश को निषेध करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

6.असफल नसबन्दी केसों के प्राप्त दावों पर चर्चा की गयी, अल्ट्रासाउन्ड एवं ओ0पी0डी0 के पर्चो के आधार पर समय पर दावे भेजने की संस्तुति की गयी। हौसला साझेदारी के तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।

डी0क्यू0ए0सी0	डी0पी0एम0	ए0सी0एम0ओ0(आर0सी0एच0)

अवलोकित

मुख्य चिकित्साअधिकारी
बरेली।

पत्रांक– मु0चि0अधि0/क्यू0ए0सेल/मासिक बैठक कार्यवृत्त/2016–17/ दिनांक–05.09.2016

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महाप्रबंधक, क्वालिटी एश्योरेन्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें बरेली मंडल, बरेली।
3. ए0डी0एस0आई0सी0, म0प्र0जि0सं0चि0, बरेली।
4. डॉ0 आर0एन0 गिरि, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0), बरेली।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बरेली।
6. मण्डलीय क्वालिटी एश्योरेंस कन्सलटेंट, बरेली मण्डल, बरेली।
7. मंडलीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0, बरेली मंडल, बरेली।
8. जिला कार्यकम प्रबंधक, एन0एच0एम0, बरेली।

मुख्य चिकित्साअधिकारी
बरेली।